

Copy

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज

अभिलेख संख्या - 234/16-17

25/5/16

<p>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपण्णी तारीख सहित</p>										
<p>12/5/16</p>	<p>श्री. <u>खाकी राना</u> पिता <u>स्व. मिखन राना</u> ग्राम <u>खजमुंडा</u> अंचल देवरी जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री <u>बुधधु राना</u> पिता <u>स्व. जीना राना</u> ग्राम <u>खजमुंडा</u> अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या <u>4111</u> दिनांक <u>18-08-2001</u> के द्वारा क्रय किया गया है।</p> <table border="1" data-bbox="389 945 1266 1113"> <tr> <td>ग्राम</td> <td>थाना न०</td> <td>खाता न०</td> <td>प्लॉट न०</td> <td>रकबा</td> </tr> <tr> <td><u>खजमुंडा</u></td> <td><u>249</u></td> <td><u>61</u></td> <td><u>255</u></td> <td><u>1 13/20</u> <u>5/8</u></td> </tr> </table> <p>पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>25/5/16</u> को उपस्थापित करें। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी का आदेश कि क्षेत्रीय जिला से धर भेजे जाने के कारण प्रकृत पंजी अचल इ-पंजी आभार जो जमा बिलों का अंकित से निर्यात हेतु उपस्थापित है।</p>	ग्राम	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	<u>खजमुंडा</u>	<u>249</u>	<u>61</u>	<u>255</u>	<u>1 13/20</u> <u>5/8</u>	
ग्राम	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा								
<u>खजमुंडा</u>	<u>249</u>	<u>61</u>	<u>255</u>	<u>1 13/20</u> <u>5/8</u>								
	<p>अंचल अधिकारी, देवरी।</p>	<p>अंचल अधिकारी, देवरी।</p>										

30/5/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास / रैयती / बकास्त / खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या I के पृष्ठ संख्या 43 पर विक्रेता कै. पिता जेता राना के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति खोशी राना पिता/पति ख. निखन राना ग्राम खजमुंडा के नाम खोशी किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
खजमुंडा	249	255	1 $\frac{13}{20}$ बी	वेसा

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

Handwritten signature and notes on the right margin.